उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

संख्या-67/2024-1149-22-4-2024-1863189

लखनऊः दिनाँक 10 दिसम्बर, 2024

शुद्धि-पत्र/संशोधन

अपर महानिरीक्षक (प्र0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र के पत्र संख्या-36754/नम-1,2,3/का0यो0(12)/2024, दिनांक 03-12-2024 द्वारा जिला कारागार, आगरा में टाईप-2 के 12 नग आवास (02 ब्लाक) के निर्माण कार्य हेतु परियोजना की कुल लागत रू0 265.40 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रू0 132.70 लाख एवं केन्द्रीय कारागार, आगरा में टाइप-2 के 12 नग आवास (02 ब्लाक) के निर्माण कार्य हेतु परियोजना की कुल लागत रू0 267.95 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रू0 133.975 लाख अर्थात अलग-अलग उक्त दो कार्यो की अवशेष द्वितीय किश्त की कुल धनराशि रू0 266.675 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-55/2024-933-22-4-2024-1863189, दिनांक 02.12.2024 के पृष्ठांकन में संशोधन कर यू०पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 के स्थान पर उक्त कार्यों हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफेड) को पृष्ठांकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में कारागार मुख्यालय के उक्त पत्र दिनांक 03-12-2024 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में शासनादेश संख्या-55/2024-933-22-4-2024-1863189, दिनांक. 02.12.2024 के पृष्ठांकन में संशोधन कर प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 के स्थान पर प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफेड) किया जाता है।

3- शासनादेश संख्या-55/2024-933-22-4-2024-1863189, दिनांक. 02.12.2024 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 02.12.2024 के शेष विवरण यथावत रहेगें।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-67/2024-1149-22-4-2024-1863189, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफेड)।

(4) जिलाधिकारी, आगरा।

(5) वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार आगरा।

(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(9) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(10)वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in